

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 17/2023 आवंटन निरस्त

- | | | |
|---|------|--|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. उदयलाल पिता मन्ना अहीर निवासी
तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा |
|---|------|--|

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित -

1. राजकीय अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम तिलस्वां की आ.न. 383 कुल रकबा 0.1619 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामील के लगातार अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम तिलस्वां की आ.न. 383 कुल रकबा 0.1619 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम

29
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा



आवंटन शर्तों की पालना
आवंटी का मौके पर कब्जा व
आवंटन निरस्त किया जाकर
किया गया। जिसके उपरान्त
दस्तावेजों का
आवंटी का
अंकित किया है कि ग्राम
आवंटी पर आवंटी का
भूमि मौके पर आवंटी का
नहीं की पालना नहीं की गयी है।
नियम 1970 के नियम 14(4) की
अनुसार प्रार्थी का
अतएव-

प्रयोजनार्थ
कीकरण का
कुल
पर